



भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड, मुंबई

विज्ञापन सं. 2ए/2012-13

(यह विज्ञापन और आवेदन का फार्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, www.rbi.org.in से प्राप्त किया जा सकता है)

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिंबैंक) में निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों, नेपाल के नागरिकों और भूटान की प्रजा, तिब्बती शरणार्थी (1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आए हुए) और भारतीय मूल के व्यक्ति जो म्यांमार और श्रीलंका से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आए हैं और जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाणपत्र हो, से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद	रिक्तियों की संख्या				
	अनारक्षित अर्थात् सामान्य (सामा)	अनुसूचित जाति (अजा)	अनुसूचित जनजाति (अजजा)	अन्य पिछड़ा वर्ग (अपवि)	कुल
विधि अधिकारी ग्रेड 'बी'	04	-	-	02	06

टिप्पणी: (i) विकलांग रिक्तियों का बैकलांग खत्म करने के लिए अधिसूचित की गई कुल रिक्तियों के अंतर्गत अक्षमता के तीनों वर्गों में से किसी भी वर्ग [बधिर वर्ग के अंतर्गत 'बधिर'] (Deaf) व्यक्तियों, जो इस पद के लिए पात्र नहीं हैं, को छोड़कर] से संबंधित विकलांग उम्मीदवारों पर उनकी उपयुक्तता के अधीन, इस विज्ञापन में विकलांगों के लिए अधिसूचित रिक्तियों के अतिरिक्त उनके चयन पर विचार किया जाएगा।

(ii) विकलांग व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अक्षमता की डिग्री कम से कम 40 प्रतिशत हो जो चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होते हैं। विकलांगों के पास भारत सरकार/राज्य सरकार के प्राधिकृत विभाग/अस्पताल द्वारा जारी इस आशय का नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2 (क) कार्य संबंधी अपेक्षाएँ: (i) बैंक के विभिन्न विभागों और इससे संबद्ध संस्थाओं से प्राप्त विधिक विषयों के संदर्भों के साथ व्यवहार जो मुख्यतः विभिन्न कानूनों की व्याख्या जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, कंपनी अधिनियम 1956, आदि से संबंधित है। (ii) बैंक द्वारा लागू किए गए/लागू किए जाने के लिए कानून का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करना। (iii) ऐसी मुकदमेबाजी जिसमें बैंक और इससे संबद्ध संस्थाएँ सामिल हों, के संबंध में परामर्श देने के लिए दलीलों तथा व्यापक अनुदेशों/पक्ष कथन का ड्राफ्ट तैयार करना। (iv) बैंक की ओर से समाधान अधिकारी, श्रम न्यायालय, अधिकरण आदि के समक्ष उपस्थित होना।

(ख) पात्रता मानदंड:

(I) शैक्षिक अर्हताएँ (दिनांक 01-01-2013 को):

अनिवार्य: सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से न्यूनतम 50% अंक या समकक्ष के साथ विधि में स्नातक की डिग्री जो अधिवक्ता के रूप में नामांकन के प्रयोजन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो।

टिप्पणी: (i) विकलांग उम्मीदवारों के लिए विधि की स्नातक डिग्री में न्यूनतम अपेक्षित अंक सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से 45% होंगे।

(ii) कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान अंकों के प्रतिशत नहीं अपितु समग्र ग्रेड प्लाइट प्रदान करते हैं (उदाहरण के लिए सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्लाइटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड बताया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा समग्र ग्रेड प्लाइटों को अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड नहीं बताया जाता है तो उसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:

समकक्ष सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई अंकवाली और शब्दावली जो 10 प्लाइट स्केल पर दी गई है	समग्र प्रतिशत अंक
6.75	60%
5.75	50%
5.25	45%

(iii) समग्र ग्रेड प्लाइट अथवा अंकों के प्रतिशत (जहां दिए गए हों) का अभियान पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के होंगे।

(iv) जहां समग्र ग्रेड प्लाइट (सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) 10 के अलावा अन्य किसी संख्या में से दिए गए हों तो इनका 10 में से सामान्यीकरण उक्त टिप्पणी (ii) के अनुसार किया जाएगा।

वांछनीय: (i) सभी सत्रों/वर्षों में समग्र रूप से 60% अंक या समकक्ष के साथ विधि में स्नातक डिग्री अंकवाली के साथ विधि में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) कंप्यूटर एन्लीक्शनों में प्रवीणता।

(II) अनुभव (दिनांक 01-01-2013 को):

अनिवार्य: एक अधिवक्ता अंकवाली के प्रतिशत नहीं (अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02-01-1981 से पहले का नहीं होना चाहिए)। एलएल.एम. डिनीधारी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा विधि में पी.एच.डी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट है। विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए कृपया निम्नखलिखित मद सं. 4 देखें।

(ग) चयन योजना :

चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा रविवार, दिनांक 31 मार्च 2013 को आयोजित की जाएगी और इसमें निम्नलिखित व्योरे के अनुसार वस्तुनिष्ठ तथा वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे :

व्योरा	अधिकतम अंक	अवधि
प्रश्न -पत्र। विधि का सामान्य ज्ञान		
वस्तुनिष्ठ प्रकार का	30	
वर्णनात्मक प्रकार का	120	तीन घंटे
कुल	150	
प्रश्न-पत्र।। अंग्रेजी		
वर्णनात्मक प्रकार का	100	तीन घंटे
कुल जोड़	250	

प्रश्न-पत्र। (विधि का सामान्य ज्ञान) हिन्दी और अंग्रेजी में होगा। उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय लिखित परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के आधार पर बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के निष्पादन के आधार पर समिलित रूप से किया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, बोर्ड के निष्पादन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।

(घ) पाठ्यक्रम:

प्रश्न-पत्र। – विधि का सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रकार का) : (i) संवैधानिक विधि (ii) प्रशासनिक विधि (iii) साविकार व्याख्या के सिद्धांत (iv) साश्य विधि (v) सिविल अधिनियम, 1872 (vi) संपर्क अधिनियम, 1882 (vii) नियोगिएशनल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 (viii) पंजीकरण अधिनियम, 1908 (ix) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (x) विधि ड्राइंग आदि। उपर्युक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है न कि संपूर्ण।

प्रश्न-पत्र।। (अंग्रेजी) : निबंध, सार, लेखन, बोधगम्यता और व्यावसायिक/कार्यालयीन पत्राचार।

3. परीक्षा केंद्र:

लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों (कोड संख्या कोडक में दी गई है) पर आयोजित की जा सकती है:

केन्द्र का नाम	कोड सं.	केन्द्र का नाम	कोड सं.
अहमदाबाद	(11)	जयपुर	(20)
बैंगलोर	(12)	जम्मू	(21)
भोपाल	(13)	कानपुर	(22)
भुवनेश्वर	(14)	लखनऊ	(24)
कोलकाता	(15)	मुंबई	(25)
चंडीगढ़	(16)	नागपुर	(26)
चैत्री	(17)	नई दिल्ली	(27)
गुवाहाटी	(18)	पटना	(29)
हैदराबाद	(19)	तिरुवनंतपुरम	(31)

उम्मीदवार केवल एक ही केन्द्र का चयन कर सकता है जिसके नाम और कोड संख्या का उल्लेख आवेदन में अवश्य किया जाए। लिखित परीक्षा के केन्द्र और तारीख को बोर्ड के विकेन्युसार परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी केन्द्र रिक्त परीक्षा के स्थिति में बोर्ड, अपने विवेक पर, संबंधित उम्मीदवारों को वैकल्पिक केन्द्र आवंटित कर सकता है। लिखित परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की तारीख, समय और स्थान की सूचना प्रवेश-पत्र के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के बिना लिखित परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. ऊपरी आयु सीमा में छूट:

ऊपरी आयु सीमा में छूट इस प्रकार है:

(क) अपिव के उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष यदि उनके लिए पद आरक्षित हैं।

(ख) निम्नलिखित के मामले में 5 वर्ष : i) अजा/अजजा उम्मीदवार यदि उनके लिए पद आरक्षित हैं। ii) रोजगार केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने वाले बैंकिंग संस्थाओं के बैंक विभाग के अधिकारी जिनकी सेवाएं मितव्ययता के कारण या बैंक के परिसमाप्तन के प्रतिक्रियाएँ विभिन्न रूप समाप्त करने के लिए बैंकिंग संस्थाओं के बैंक विभाग के अधिकारी जिनकी सेवाएं म

(vi) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

(vii) चुने गए उम्मीदवारों को भारत में कही भी तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है।

7. सामान्य नियम/अनुदेश:

(i) ऑफ-लाइन तरीके के लिए आवेदन का प्रारूप इस विज्ञापन के अंत में दिया गया है। ऑफ-लाइन तरीके से आवेदन करने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के अनुरूप ही आवेदन करें।

(ii) जिन आवेदनों के साथ निर्धारित शुल्क (जब तक छूट न दी गई हो) नहीं होगा अथवा जो आवेदन अपूर्ण/अपार्ट/निर्धारित फार्मेट में नहीं होंगे, फोटो बिना होंगे, हस्ताक्षर बिना होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में बोर्ड द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(iii) उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ कोई भी प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों अथवा उनकी प्रतियां संलग्न न करें। आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जायेगा। किसी भी स्तर पर यदि यह पाया गया कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या बोर्ड के अनुसार उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता/करती है तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

(iv) सभी शैक्षणिक अहंताएं भारत या विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से प्राप्त की गई हों। यदि अंकों के बजाय ग्रेड प्रदान किया गया हो तो उम्मीदवार उनके समकक्ष अंक स्पष्ट रूप से अवश्य दें।

(v) उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद के पात्रता मानदंडों को सभी प्रकार से पूरा करते हैं। बोर्ड पद के लिए अपेक्षित शुल्क (जहां कहीं भी लागू हो) के साथ आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर लिखित परीक्षा में प्रवेश देगा तथा उनके पात्रता का निर्धारण केवल अंतिम स्तर अर्थात् साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के समय ही करेगा।

(vi) ऐसे उम्मीदवार जो पहले से सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों में सेवारत हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा। 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' के बिना किसी भी उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक में नियुक्त से पहले उन्हें पूर्व नियोक्ता से एक उचित सेवा-मुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदन-पत्र नियोक्ता के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है और वह बोर्ड के कार्यालय में अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही आवेदक द्वारा वह नियोक्ता को अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे मामलों में, अग्रिम प्रति लिखकर आवेदन पत्र शुल्क (जहां लागू हो) के साथ बोर्ड के कार्यालय में सीधे भेज दिया जाए और नियमित प्रति बिना शुल्क के नियोक्ता के माध्यम से भेजी जाए।

(vii) यदि पते में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना बोर्ड को तत्काल दी जाए। यद्यपि, बोर्ड ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा प्रयास करेगा, परंतु इस संबंध में बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब सूचना प्राप्ति की तिथि तथा परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि में बहुत कम अंतर हो।

(viii) आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता के संबंध में सलाह मांगने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त पत्रों पर बोर्ड विचार नहीं करेगा।

(ix) लिखित परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सूची उचित समय पर भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को बोर्ड से लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र/कोई अन्य सूचना प्राप्ति न हो तो उसे आवश्यक मार्गदर्शन के लिए परीक्षा की तारीख से चार दिन पहले पासपोर्ट आकार के हस्ताक्षरित फोटो-सहित कार्यालय समय के दौरान आवेदन में दिए गए परीक्षा केंद्र पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। उपर्युक्त अनुदेशों का पालन न करने पर उम्मीदवार को इस बात का कोई हक प्राप्त नहीं होगा कि उसके मामले पर कोई विचार किया जाए।

(x) लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर आना होगा। तथापि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को उनके आवास स्थान/कार्य के स्थान, जो भी निकट हो, से साक्षात्कार के स्थान तक आने और जाने के लिये लघुत्तम मार्ग द्वारा प्रथम श्रेणी (गैर वातानुकूलित) (नॉन-एसी) अथवा II ऐसी के वास्तविक रेल भाड़ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(xi) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है तु उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई संचार उपकरण अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराए जाने के साथ-साथ भविय में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

(xii) बोर्ड के साथ पत्राचार करते समय प्रवेश-पत्र में दिया गया रोलनंबर अवश्य लिखें।

(xiii) बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को अंक-सूची नहीं दी जाती है। तथापि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकते हैं।

(xiv) भारतीय रिजर्व बैंक के कर्चारी (स्टाफ उम्मीदवार) जो शैक्षणिक अहंता, अनुभव आदि के संबंध में विज्ञापन में दिए गए पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि स्टाफ उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्राप्त है।

(xv) किसी भी प्रकार की अनुयाचना उम्मीदवार की अयोग्यता मानी जाएगी।

(xvi) पात्रता, परीक्षा के संचालन, साक्षात्कार, मूल्यांकन, रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अहंता मानक निर्धारित करने और परिणामों की सूचना देने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

8. आवेदन प्रस्तुत करना:

उम्मीदवार पद के लिए निर्धारित आवेदन (ऑफ-लाइन) अथवा ऑन-लाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑन-लाइन आवेदन करने के बाद इसका प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) बोर्ड कार्यालय में भेजें।

(i) ऑन-लाइन: उम्मीदवार <http://onlinedr.rbi.org.in> लिंक/यूआरएल का प्रयोग करके ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑन-लाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन में दिए गए उम्मीदवारों को अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही "Apply" लिंक पर क्लिक करें।

ऑन-लाइन आवेदन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) ऑन-लाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार को ₹100/- का मांग ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर अवश्य खरीद लेना चाहिए (अज्ञा/अज्ञा/विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त है)।

ख) शुल्क से छूट प्राप्त वर्ग के उम्मीदवार सीधे ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

ग) उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे सिस्टम के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद ऑन-लाइन आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) से विनिर्दिष्ट जगह पर हस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं (स्टेपल न करें), हस्ताक्षर करें तथा ₹100/- का मांग ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर (यदि शुल्क का भुगतान अपेक्षित हो) संलग्न करें।

घ) उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे उनके द्वारा भरे गए ऑन-लाइन आवेदन का सिस्टम से प्राप्त प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) नीचे मद (iii) में दिए गए पते पर साधारण डाक द्वारा भेजें। यदि उनके आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी) विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक बोर्ड को प्राप्त नहीं होगा तो ऑन-लाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसे रद्द कर दिया जाएगा।

ड.) एक से अधिक बार आवेदन न भरें। अनुलिपि आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

च) ऑन-लाइन आवेदन दिनांक 29 जनवरी 2013, अपराह्न 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा।

(ii) ऑफ-लाइन आवेदन विज्ञापन में दिए गए आवेदन फार्मेट में ही आवेदन करें। यह अच्छी गुणवत्ता वाले सफेद एक कागज पर हिंदी अथवा अंग्रेजी में टाइप किया हुआ अथवा हाथ से साफ-साफ लिखा होना चाहिए। आवेदन में सभी कॉलम (विकलांग तथा शुल्क को छोड़कर, यदि लागू न हो) स्पष्ट रूप से लिखे अथवा टाइप होने चाहिए। अपूर्ण तथा अपार्ट आवेदन रद्द कर दिए जाएं।

(iii) ऑफ-लाइन आवेदन अथवा ऑन-लाइन आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी), जो भी हो, साधारण डाक द्वारा "महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड, पोस्ट बैग नं. 4618, मुंबई सेंट्रल डाकघर, मुंबई 400 008" पर भेजें। आवेदन के लिए ग्रेड बोर्ड की पद के पते के लिए आवेदन करें।

(iv) ऑफ-लाइन आवेदन अथवा ऑन-लाइन आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी), जो भी हो, बंद लिफाफे में भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400 008 में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए बॉक्स में भी डाल सकते हैं।

(v) उम्मीदवार ऑन-लाइन अथवा ऑफ-लाइन में से केवल एक ही तरीके से आवेदन करें। दोनों तरीकों से आवेदन प्रस्तुत न करें। अनुलिपि आवेदन रद्द कर दिए जाएं।

9. अंतिम तारीख :

(i) ऑन-लाइन आवेदन दिनांक 29 जनवरी 2013, अपराह्न 11.59 बजे तक भरे जा सकते हैं।

(ii) ऑफ-लाइन आवेदन अथवा ऑन-लाइन आवेदन का प्रिंटआउट (हार्डकॉपी), जो भी हो, बोर्ड कार्यालय में दिनांक 05 फरवरी 2013, अपराह्न 6.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।

(iii) विदेश में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर राज्य के लदाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मीति तथा चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लिखान चाहिए।

(iv) आवेदन की प्राप्ति में विवरण अंथवा डाक में उसके खो जाने के मामले में बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10.